

प्रेषक,

मिशन निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या: एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./अरबन आर.सी.एच./2012-13/1

दिनांक 09 .08.2012

विषय: प्रदेश के जनपदों की शहरी क्षेत्रों में अर्ध विकसित मलिन, अल्पसंख्यक एवं दलित बाहुल्य बस्तियों में नये अरबन हेल्थ पोस्ट के स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि वर्ष 2011 के जनसंख्या सर्वे के अनुसार हमारे प्रदेश की कुल जनसंख्या 199,581,477 है जिसमें से 44,470,455 की जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अरबन आर0सी0एच0 कार्यक्रम में जनपदों की नगरीय जनसंख्या के आधार पर पूर्व में नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये थे जिनके द्वारा मातृ एवं शिशु कल्याण सेवायें प्रदान की जा रही है। परन्तु नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है तथा नगरीय क्षेत्रों के विकास के साथ काफी संख्या में अर्ध विकसित मलिन बस्तियां बढ़ती जा रही है जोकि स्वास्थ्य की मूलभूत सेवाओं से वंचित है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय क्षेत्रों में स्थापित अर्ध विकसित मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार को इन बस्तियों के आस-पास 100 नये अरबन हेल्थ पोस्ट स्थापित करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया था जिसकी भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है:

S.no	District	Total Population	Urban Population	Requirement of total Urban Health Posts	Existing Urban Health Posts under NRHM	Existing Urban Health Posts under State Budget	Total Existing Urban Health Posts	District wise Newly Proposed Urban Health Posts
1	Saharanpur	3,464,228	1,063,808	21	5	9	14	3
2	Muzaffarnagar	4,138,605	1,190,076	24	2	—	2	5
3	Bijnor	3,683,896	925,634	19	1	—	1	2
4	Moradabad	4,773,138	1,575,663	32	5	13	18	5
5	Rampur	2,335,398	588,761	12	1	3	4	1
6	Jyotiba Phule Nagar	1,838,771	456,656	9	2	—	2	1
7	Meerut	3,447,405	1,762,573	35	6	8	14	5
8	Baghpat	1,302,156	274,135	5	1	—	1	—
9	Ghaziabad	4,661,452	3,144,574	63	5	9	14	8
10	Gautam Buddha Nagar	1,674,714	997,410	20	1	—	1	2
11	Bulandshahar	3,498,507	867,791	17	2	—	2	1
12	Aligarh	3,673,849	1,216,581	24	5	7	12	2

Umm

13	Mahamaya Nagar	1,565,678	333,597	7	1	—	1	—
14	Mathura	2,541,894	753,893	15	—	—	0	2
15	Agra	4,380,793	2,009,497	40	1	15	16	8
16	Firozabad	2,496,761	832,270	17	1	2	3	3
17	Mainpuri	1,847,194	284,333	6	1	—	1	1
18	Budaun	3,712,738	644,935	13	1	—	1	2
19	Bareilly	4,465,344	1,562,495	31	3	2	5	2
20	Pilibhit	2,037,225	355,156	7	1	—	1	—
21	Shahjahanpur	3,002,376	591,408	12	1	7	8	—
22	Kheri	4,013,634	461,345	9	1	—	1	1
23	Sitapur	4,474,446	529,992	11	1	—	1	3
24	Hardoi	4,091,380	540,991	11	1	—	1	2
25	Unnao	3,110,595	533,263	11	3	—	3	1
26	Lucknow	4,588,455	3,037,718	61	14	3	17	10
27	Rae Bareli	3,404,004	307,907	6	1	—	1	1
28	Farrukhabad	1,887,577	415,294	8	1	—	1	1
29	Kannauj	1,658,005	280,586	6	1	—	1	1
30	Etawah	1,579,160	366,310	7	1	—	1	1
31	Auraiya	1,372,287	234,205	5	1	—	1	—
32	Kanpur Dehat	1,795,092	173,438	3	—	—	0	—
33	Kanpur Nagar	4,572,951	3,015,129	60	5	6	11	8
34	Jalaun	1,670,718	418,754	8	1	—	1	1
35	Jhansi	2,000,755	836,006	17	3	9	12	—
36	Lalitpur	1,218,002	175,095	4	1	—	1	—
37	Hamirpur	1,104,021	209,314	4	1	—	1	—
38	Mahoba	876,055	185,678	4	1	—	1	—
39	Banda	1,799,541	276,163	6	1	—	1	—
40	Chitrakoot	990,626	96,352	2	1	—	1	—
41	Fatehpur	2,632,684	322,598	6	1	—	1	—
42	Pratapgarh	3,173,752	175,861	4	1	—	1	—
43	Kaushambi	1,596,909	124,371	2	1	—	1	—
44	Allahabad	5,959,798	1,476,610	30	3	11	14	5
45	Barabanki	3,257,983	330,247	7	1	—	1	1
46	Faizabad	2,468,371	342,783	7	5	—	5	—
47	Ambedkar Nagar	2,398,709	281,571	6	1	—	1	1
48	Sultanpur	3,790,922	200,175	4	1	—	1	—
49	Bahraich	3,478,257	287,218	6	1	—	1	1
50	Shrawasti	1,114,615	38,449	1	—	—	0	—
51	Balrampur	2,149,066	166,282	3	1	—	1	—
52	Gonda	3,431,386	225,146	5	1	—	1	—
53	Siddharthnagar	2,553,526	160,237	3	1	—	1	—
54	Basti	2,461,056	138,117	3	1	—	1	—

2019

55	Sant Kabir Nagar	1,714,300	128,140	3	1	—	1	—
56	Mahrajganj	2,665,292	134,790	3	1	—	1	—
57	Gorakhpur	4,436,275	832,981	17	6	15	21	—
58	Kushinagar	3,560,830	168,062	3	1	—	1	—
59	Deoria	3,098,637	316,898	6	1	—	1	1
60	Azamgarh	4,616,509	393,384	8	1	—	1	1
61	Mau	2,205,170	499,784	10	1	—	1	1
62	Ballia	3,223,642	303,843	6	1	—	1	1
63	Jaunpur	4,476,072	333,649	7	1	—	1	1
64	Ghazipur	3,622,727	273,872	5	1	—	1	1
65	Chandauli	1,952,713	245,103	5	—	—	0	—
66	Varanasi	3,682,194	1,599,260	32	6	15	21	3
67	Sant Ravidas Nagar	1,554,203	228,891	5	1	—	1	—
68	Mirzapur	2,494,533	346,475	7	1	—	1	—
69	Sonbhadra	1,862,612	314,063	6	1	—	1	—
70	Etah	1,761,152	268,448	5	1	—	1	—
71	Kanshiram Nagar	1,438,156	288,361	6	2	—	2	—
72	Amethi			—	—	—	—	—
73	Shamli			—	1	—	—	—
74	Sambhal			—	—	—	—	—
75	Hapur			—	—	—	—	—
		199,581,477	44,470,455		131	134	265	100

नये अरबन हेल्थ पोस्ट स्थापित करने हेतु निम्न बिन्दुओं पर आपसे विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की गयी है :

1. जनपदों के नगरीय क्षेत्रों का चिन्हांकन/सीमांकन हेतु U.P Urban Planning & Development Act 1973 के अन्तर्गत अधिसूचित प्राधिकरण क्षेत्र की सीमा को आधार बनाया जाये। इसके अंतर्गत विकास प्राधिकरण की सीमा सम्मिलित की जाएगी।
2. उपरोक्तानुसार नगरीय क्षेत्र सीमांतर्गत अर्ध विकसित मलिन, अल्पसंख्यक एवं दलित बाहुल्य बस्तियों की जनसंख्या का आंकलन कर लिया जाए, जिनमें नये अरबन हेल्थ पोस्ट की स्थापना की जानी है।
3. नये अरबन हेल्थ पोस्ट की स्थापना हेतु कुल नगरीय जनसंख्या 50,000 न्यूनतम होनी चाहिए, जहाँ मलिन बस्तियों की जनसंख्या 30,000 से 35,000 होने पर 1 नया अरबन हेल्थ पोस्ट स्थापित किया जा सकता है। इसी के अनुरूप अन्य अरबन हेल्थ पोस्ट स्थापित करने हेतु लोकेशन चिन्हित कर ली जाए।
4. नये अरबन हेल्थ पोस्ट स्थापित किये जाने हेतु जनपद के जो स्वास्थ्य उपकेन्द्र नगरीय क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत उपरोक्त परिभाषानुसार आ गए हैं, उनका चिन्हीकरण भी कर लें। इन उपकेन्द्रों को नये अरबन हेल्थ पोस्ट में परिवर्तित किया जाना है।
5. इसके अतिरिक्त अगर उस क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं है तो नये अरबन हेल्थ पोस्ट को स्थापित करने हेतु ऐसे भवन को किराये पर लिया जाना है जो इन बस्तियों में अथवा आस-पास अधिकतम एक किमी0 की परिधि में हों तथा स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारु रूप से संचालन हेतु 4 कमरे हों। भवन में विद्युत कनेक्शन, शौचालय तथा 24 घण्टे पानी की व्यवस्था हो तथा भवन स्वामी द्वारा हाऊस टैक्स एवं वाटर टैक्स नियमित रूप से जमा किया जा रहा हों।
6. नये अरबन हेल्थ पोस्ट हेतु प्रस्ताव उन जनपदों से भी भेजा जाना है जहाँ प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृत हेतु नहीं भेजा गया है परन्तु जनपदों के नगरीय क्षेत्रों में अरबन हेल्थ पोस्ट की आवश्यकता है।

5/8/9

उक्त नये अरबन हेल्थ पोस्ट प्रस्ताव हेतु जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी,(स्थानीय निकाय)/परियोजना निदेशक, डूडा की अध्यक्षता में एक बैठक की जाये। बैठक में तालिका में दर्शाये गये नये अरबन हेल्थ पोस्ट की संख्या, स्थान एवं स्थिति का निर्णय किया जायेगा। प्रस्ताव को जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त राज्य स्तर पर शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें। यदि उपरोक्त तालिका में आपके जनपद के सम्मुख दर्शाये गये नये अरबन हेल्थ पोस्ट की संख्या को आवश्यकतानुसार कम या अधिक करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसका भी निर्णय जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा करा कर शीघ्र प्रेषित करे जिससे कि राज्य स्तर से अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

नये अरबन हेल्थ पोस्ट के कियान्वयन हेतु दिशानिर्देश:-

1. **हेल्थ कार्ड:** प्रत्येक नये स्थापित होने वाले अरबन हेल्थ पोस्ट की सीमा के अन्तर्गत आने वाली मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या हेतु पारिवारिक हेल्थ कार्ड प्रत्येक परिवार को वितरित किये जाने हैं, यह कार्ड डूडा विभाग के सी0डी0एस0 द्वारा भरकर वितरित किये जायेंगे तथा प्रत्येक घर के मुखिया को यह कार्ड दिया जायेगा। कार्ड का प्रोटोटाइप तैयार कर आपको उपलब्ध कराया जायेगा। कार्ड की प्रिन्टिंग हेतु रू0 3.00 प्रति कार्ड तथा वितरण हेतु रू0 2.00 प्रति कार्ड की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2. **भवन:** नये अरबन हेल्थ पोस्ट को यदि उस क्षेत्र में पूर्व से निर्मित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में स्थापित किया जाना हो तो उसका चिन्हीकरण कर सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण करने हेतु बजट का आंकलन करवा लें। यदि उपकेन्द्र स्थापित नहीं है तो संचालन हेतु किराये के भवन का प्राविधान है, जो मलिन बस्ती क्षेत्र में हो या उसके नजदीक हो।
 - किराये के भवन में 01 कक्ष ओ0पी0डी0- प्रतीक्षालय तथा चिकित्साधिकारी के चैम्बर सहित (न्यूनतम 30 वर्ग मीटर साईज)
 - 01 कक्ष माइनर ओ0टी0 (न्यूनतम 12 वर्ग मीटर साईज)
 - 01 कक्ष औषधि एवं अन्य लॉजिस्टिक के भण्डार एवं वितरण हेतु (न्यूनतम 15 वर्ग मीटर साईज)
 - 01 कक्ष टीकाकरण एवं अन्य कार्यो हेतु (न्यूनतम 12 वर्ग मीटर साईज) होना चाहिए।
 भवन में 2 शौचालय (01 शौचालय स्टाफ के लिए तथा 01 शौचालय मरीज एवं उनके रिश्तेदारों के लिए) 24 घण्टे पानी की सुविधा सहित होने चाहिए। भवन के किराये हेतु रू0 7000.00 प्रतिमाह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।

यदि नए अरबन हेल्थ पोस्ट को स्वास्थ्य उपकेन्द्र में खोला जाना है तो उसके सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु वास्तविक व्यय का आंकलन कर व्यय सीमा के अन्दर किया जाना है तथा सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण से पूर्व एवं पश्चात की फोटोग्राफ को जनपद स्तर पर सुरक्षित रखा जाना है।
3. **मानव संसाधन-प्रत्येक नये अरबन हेल्थ पोस्ट में 1 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सा अधिकारी (पुरुष या महिला), 1 स्टाफनर्स, 1 ए0एन0एम0 तथा 1 स्वीपर कम चौकीदार की तैनाती की जायेगी।**
 - **चिकित्साधिकारी :** प्रत्येक नये अरबन हेल्थ पोस्ट में संविदा के आधार पर एक एम0बी0बी0एस0 चिकित्साधिकारी (पुरुष या महिला) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। चिकित्साधिकारी के मानदेय हेतु रू0 30,000.00 प्रतिमाह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है। चिकित्साधिकारी के चयन में सेवानिवृत्त 65 वर्ष की आयु तक के चिकित्साधिकारी भी लिये जा सकते हैं जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
 - **स्टाफ नर्स :** प्रत्येक नये अरबन हेल्थ पोस्ट में संविदा के आधार पर एक स्टाफ नर्स की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु रू0 15,000.00 प्रतिमाह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
 - **ए0एन0एम0 :** प्रत्येक नये अरबन हेल्थ पोस्ट में संविदा के आधार पर एक ए0एन0एम0 की स्वीकृति प्रदान की गयी है। ए0एन0एम0 के मानदेय हेतु रू0 9,000.00 प्रतिमाह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
 - **स्वीपर कम-चौकीदार :** प्रत्येक नये अरबन हेल्थ पोस्ट में संविदा के आधार पर एक स्वीपर-कम-चौकीदार की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीपर कम-चौकीदार के मानदेय हेतु रू0 4,500.00 प्रतिमाह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।

Umk

4. **विद्युत व्यवस्था** : प्रत्येक नये अरबन हेल्थ पोस्ट में विद्युत व्यवस्था हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपकेंद्रों में विद्युत कनेक्शन एवं विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करा लें। विद्युत बिल के भुगतान हेतु रू0 1000.00 प्रतिमाह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
5. **दूरभाष किराया** : प्रत्येक नये अरबन हेल्थ पोस्ट में दूरभाष की व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की गयी है इस धनराशि का उपयोग प्रीपेड सिम कार्ड हेतु किया जायेगा, यह सुविधा उन्हीं अधिकारी/कर्मचारियों को देय होगी, जिनके पास अपना मोबाईल सेट होगा। प्रीपेड सिम कार्ड हेतु चिकित्साधिकारी को रू0 400.00 प्रति माह, स्टाफ नर्स को रू0 200.00 प्रति माह, ए0एन0एम0 को रू0 200.00 प्रति माह तथा स्वीपर कम चौकीदार हेतु रू0 100.00 प्रति माह की दर से वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।
6. **कन्टीन्जेन्सी** : प्रत्येक नये नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र हेतु कन्टीन्जेन्सी मद में धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसका उपयोग इकाई में दैनिक उपयोग की सामग्री, स्टेशनरी तथा अन्य कन्टीन्जेन्सी सामग्री के क्रय हेतु किया जायेगा। कन्टीन्जेन्सी हेतु रू0 1000.00 प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
7. **नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों उपयोगार्थ औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स की व्यवस्था** : नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों आने वाले रोगियों के सामान्य रोगों के उपचारार्थ प्रयोग होने वाली औषधि धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। औषधि का क्रय अरबन हेल्थ पोस्ट की आवश्यकतानुसार रेट कान्ट्रैक्ट की दरों के अनुसार नियमानुसार किया जाना है। इस हेतु रू0 10,000.00 प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।
8. **उपकरण एवं फर्नीचर** – नये अरबन हेल्थ पोस्ट के संचालन हेतु उपकरण एवं फर्नीचर की व्यवस्था हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। सभी नये अरबन हेल्थ पोस्ट हेतु आवश्यकतानुसार उपकरण एवं फर्नीचर का नियमानुसार क्रय किया जाना है। उपकरण एवं फर्नीचर का क्रय अरबन हेल्थ पोस्ट की आवश्यकतानुसार रेट कान्ट्रैक्ट की दरों के अनुसार नियमानुसार किया जाना है। इस हेतु प्रत्येक अरबन हेल्थ पोस्ट के लिए रू0 1,00,000.00 की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
9. **नये अरबन हेल्थ पोस्ट हेतु प्रचार-प्रसार गतिविधियां**: नये अरबन हेल्थ पोस्ट पर प्राथमिक चिकित्सा उपचार मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवायें, काउन्सिलिंग एवं सन्दर्भन सेवाएं सुनिश्चित की जानी हैं। नये अरबन हेल्थ पोस्ट पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची नये अरबन हेल्थ पोस्ट के प्रवेश द्वार के नजदीक 6 फीट X 4 फीट साईज की टिन की होर्डिंग पर स्पष्ट एवं बड़े-बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया जाना है जो दूर से पठनीय हो। चिकित्साधिकारी एवं अन्य कार्मिकों के नाम एवं मोबाईल नम्बर भी होर्डिंग पर प्रदर्शित किया जाना है। अरबन हेल्थ पोस्ट का लोकेशन यदि मेन रोड से हट कर हो तो मेन रोड पर अरबन हेल्थ पोस्ट की लोकेशन को एक संकेतक बोर्ड द्वारा प्रदर्शित किया जाय जिसमें अरबन हेल्थ पोस्ट का नाम, सही लोकेशन तथा पूरा पता अंकित हो जिससे कि मरीज आसानी से अरबन हेल्थ पोस्ट पर पहुँच सके। अरबन हेल्थ पोस्ट प्रचार-प्रसार गतिविधियों हेतु प्रत्येक अरबन हेल्थ पोस्ट को रू0 15,000.00 की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

नये अरबन हेल्थ पोस्ट हेतु प्रस्ताव निम्न प्रारूप पर संलग्न कर शीघ्र भेजे:-

क्रम सं०	जनपद की अरबन जनसंख्या	जनपद में अरबन स्लम की जनसंख्या जहाँ अरबन हेल्थ पोस्ट खोलना चाहते हैं।	जनपद में पूर्व में कितनी हेल्थ पोस्ट चल रही है।		एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत खोले जाने हेतु नये अरबन हेल्थ पोस्ट की सं० (जनसंख्या सहित)	टिप्पणी
			स्टेट बजट से	एन0आर0एच0एम0 बजट से		
1	2	3	4	5	6	7

20/9

आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपदों के अविकसित एवं अर्ध विकसित मलिन बस्तियों में नये अरबन हेल्थ पोस्ट की संख्या का आंकलन करते हुये अति शीघ्र प्रस्ताव Email: udg_sbl@yahoo.co.in & druk54@rediffmail.com अथवा फैंक्स सं0 0522-2237390, 2258085 पर भिजवाने का कष्ट करें जिससे कि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या: एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./अरबन आर.सी.एच./2012-13/1/ तददिनांक
प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, सूडा, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ कि वह अपने स्तर से समस्त जिला इकाईयों को सहयोग देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक